

किसान बाजार में 25–30 प्रति किलोग्राम की दर से बाजरा बेच पा रहा है। ताजा आकलन से पता चलता है कि इनमें से करीब 75 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि बाजरे की इस किस्म की बिक्री से उन्हें सालाना 15,000–20,000 रुपए की अतिरिक्त आमदनी हो रही है।

मध्य प्रदेश में टीडब्ल्यूईपी मांडला और डिंडोरी जिलों में 3,500 से अधिक आदिवासी परिवारों को कोदन बाजरा और कुटकी बाजरा उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में समुदायों को बाजरे की कुटाई, पैकिंग और बिक्री करने में सहायता दी जाती है और बाजरे से तरह-तरह के नाश्ते तैयार करना सिखाया जाता है। कोदन और कुटकी से परिवारों को औसतन 2000–3000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त आमदनी हो रही है।

ओडिशा में ओटीईएलपी को 18,000 से अधिक परिवारों तक पहुंचाने और बाजरे की कई किस्मों जैसे कांगनी बाजरा या रागी बाजरा और ज्वार उगाने के लिए प्रोत्साहित करने में सफलता मिली है। इसके अंतर्गत न सिर्फ बाजरे का रकबा बढ़ाया गया है, बल्कि उसकी खेती दोबारा शुरू कराई गयी है। बाजरे की बिक्री से हर वर्ष हर परिवार को करीब 12,000–15,000 की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। ओडिशा में घर के बागीचों में पौष्टिकता की दृष्टि से कम उपयोग की जा रही जड़ और कंद फसलों को भी बढ़ावा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र (सीआईपी) और सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रीसर्च इंस्टिट्यूट (सीटीसीआरआई) के साथ मिलकर सीआईपी के लिए आईएफएडी अनुदान प्रोजेक्ट के जरिए ओटीईएलपी जिमिकंद और नारंगी छिलके वाली शकरकंद को 12,000 परिवारों की रसोई के बगीचों में उगाया गया है। जिमिकंद का औसत बिक्री मूल्य 20–30

रुपए प्रति किलोग्राम है जिससे परिवारों को 6,000–12,000 रुपए की अतिरिक्त आमदनी हो रही है।

पूर्वोत्तर भारत में एनईआरसीओएमपी प्रोजेक्ट ने तरह-तरह की जड़ और कंद फसलें झूम खेतों और घरेलू बगीचों में लगाने को बढ़ावा दिया है जिससे 20,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। इनमें अधिकतर झूम खेती करने वाले हैं। इन फसलों में सूरण और तारो, कांगनी बाजरा और संक्रु प्रमुख हैं। इस प्रोजेक्ट में सूरण की 12 और तारो की 20 अलग-अलग किस्मों को घर के बागीचों में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे भोजन और चारे के लिए खेती जैव-विविधता को बढ़ावा मिलता है तथा पौष्टिकता में समृद्ध पर कम उपयोग की जा रही फसलों का संरक्षण भी हो रहा है। ■



## LoLFk i ; koj . %LoLFk Q fDr

पर्यावरण अच्छे स्वास्थ्य के लिए ठोस मंच प्रदान करता है। सब जानते हैं कि अगर पर्यावरण स्वस्थ हो तो समय से पहले मृत्यु और बीमारियों से बहुत हद तक बचा जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक डॉ. मारग्रेट चान का कहना है, “स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ आबादी की जरूरत है।”

अनुमान है कि 2012 में अस्वस्थ माहौल में रहने या काम करने के कारण करीब 1.26 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार दुनिया में कुल मौतों में से करीब एक चौथाई इस कारण से हुई। वायु, जल और मृदा प्रदूषण, रासायनों से संपर्क, जलवायु परिवर्तन और पराबैंगनी किरणों के विकिरण जैसे पर्यावरण संबंधी जोखिम 100 से अधिक बीमारियों और शारीरिक कष्टों के लिए जिम्मेदार हैं।

पर्यावरण संबंधी जोखिमों के कारण बीमारियों के बोझ के नवीनतम वैश्विक आकलन (2012) के अनुसार भारत में कुल मौतों में

से 30 प्रतिशत अस्वस्थ माहौल की देन बताए जाती हैं। विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों (डीएएलवाई) की दृष्टि से पर्यावरण संबंधी खतरों के कारण एक चौथाई डीएएलवाई गंवा दिए जाते हैं।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण हर साल प्रति एक लाख आबादी पर कम से कम 315 मौतें होती हैं। गैर संचारी रोगों से सबसे अधिक प्रति एक लाख 207 मौतें होती हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण पानी से फैलने वाले और संचारी रोगों की घटनाएं बढ़ने की भी खबर है।

### पर्यावरण को कौन दूषित कर रहा है?

जैसे-जैसे अधिक संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, वैसे-वैसे यह समस्या और गंभीर होने वाली है। दुनिया भर में हर दो में से एक व्यक्ति शहरों में रहता है। 2050 तक यह अनुपात तीन में दो हो जाने वाला है। वाहनों की भीड़, हरियाली के लिए सीमित जगह, वायु प्रदूषण, शोर और हिंसा सबका असर आपके स्वास्थ्य

पर पड़ता है। अच्छे पर्यावरण के लिए मशहूर ग्रामीण इलाकों को भी यह विस्तार निगलता जा रहा है। खासकर ग्रामीण और अर्द्ध शहरी परिवारों में घर के भीतर खाना पकाए जाने से स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है।

भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण और आर्थिक वृद्धि से ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ गई है। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए देश कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है, जो वायु प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। उद्योगों और अस्वच्छ घरेलू स्रोतों तथा खेती के तरीकों से निकलने वाले अनुपचारित प्रदूषित तत्व हमारी हवा, जमीन और जल संसाधनों को बुरी तरह दूषित कर रहे हैं। बायोमैडिकल और ई-कचरे का असुरक्षित निपटान भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण है।

### पर्यावरण प्रदूषण से निपटना

घर के भीतर और काम की जगह पर पर्यावरण जोखिम कम करने के लिए तत्काल निवेश करना होगा। इस तरह

के निवेश से मृत्यु और बीमारी की बढ़ती दर रोकने में बहुत मदद मिलेगी। जिससे स्वास्थ्य सेवा पर खर्च कम होगा।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण आने वाले दशकों में जलवायु और पारिस्थितिकी परिवर्तन का जोखिम बढ़ जाएगा। 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सीओपी 21 में स्वास्थ्य, जलवायु, पर्यावरण और सामाजिक तथा विकास संबंधी लाभों के लिए एक अभूतपूर्व मंच मिला। भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के बारे में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से संचालित है।

सतत् विकास लक्ष्य अपने समग्र दृष्टिकोण के साथ पर्यावरण कारणों से बीमारियों को बोज़ कम करने में स्थायी योगदान के लिए विलक्षण अवसर प्रदान करते हैं। इससे लोगों का जीवन स्वस्थ करने और उनके कल्याण में मदद मिलेगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन हवा को दूषित करने वालों तत्वों, मिट्टी और पानी में पारे जैसे रासायनों के कारण होने वाले प्रदूषण का बोज़ कम करने के लिए रणनीतियों के बारे में वैश्विक मार्गदर्शन दे रहे हैं।

सभी संबद्ध पक्षों के ठोस और समन्वित प्रयास तथा बहुत क्षेत्रीय दृष्टिकोण इस स्थिति के सफलतम समाधान के लिए आवश्यक हैं।

### भारत सरकार के प्रयास

भारत में सरकार नए-नए समाधान तलाश रही है। स्वच्छ भारत अभियान नागरिकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वच्छता अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और यह अभियान विशेष रूप से प्रासंगिक तथा सामयिक है।

स्मार्ट सिटी प्रयास से शहरी नियोजन, ऊर्जा किफायती मकानों के निर्माण और जन परिवहन के अच्छे नेटवर्क का आश्वासन मिलता है। ये सभी पर्यावरण के अनुकूल हैं। नागरिकों की भागीदारी की व्यवस्था इसमें पहले से है। इसलिए यह प्रयास टिकाऊ होगा।

ऊंची आय वाले वर्गों के लिए रसोई गैस पर पूरी सब्सिडी हटाने और नीचे आय वर्ग में अधिक परिवारों को एलपीजी देने की सूची में शामिल करने जैसे कदम परिवार के भीतर वायु प्रदूषण कम करने के सराहनीय उपाय हैं और इनसे स्वच्छ ईंधन के अधिक समान रूप से सुलभ होने को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी तरह प्रमुख नदियों को साफ करने के प्रयासों

से जल जन्य रोगों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

सरकार ने परिवार के भीतर और बाहर वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की एक संचालन समिति बनाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारत शाखा इसमें शामिल है।

सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान की मनाही संबंधी कानून भारत में मौजूद है जिससे सिगरेट न पीने वालों को सिगरेट के धुंए से बचाया जा सकता है। इसके लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 बनाया गया है। भारत ने तम्बाकू नियंत्रण के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क समझौते 2004 पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

अंत में कहा जा सकता है कि पर्यावरण स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों से दुनिया में बीमारियों का बोज़ कम करने तथा हर जगह जन कल्याण को बढ़ावा देने में अमूल्य और टिकाऊ योगदान हो सकता है। अतः अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा यह कर्तव्य है कि पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव प्रयास करें और स्वयं भी स्वस्थ रहें। ■



फोटो: डब्ल्यू एच ओ / जीन मोहर